झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–285 / 2019

पार्वती देवी ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची
3. उपायुक्त, रांची
4. हाउस कंट्रोलर–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची
5. स्वरूप कुमार सेठी
6. पुष्पा देवी सेठी ..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री बी0वी0 कुमार, अधिवक्ता

राज्य दलों के लिए : एस0सी0 (एल एंड सी)–I के ए0सी0

आदेश संख्या 03 दिनांक 14.06.2019

यह याचिका पार्वती देवी [डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910 / 2018 के प्रतिवादी संख्या 5] द्वारा दायर की गई है, जो इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910 / 2018 में पारित दिनांक 24.04. 2018 के आदेश के हिस्से को वापस लेने / संशोधित करने के लिए है, जिसके तहत हाउस कंट्रोलर–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची को स्वरूप कुमार सेठी और पुष्पा देवी सेठी [डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910 / 2018 के याचिकाकर्ताओं] के खिलाफ प्रश्नगत परिसर से उनके निष्कासन हेतु कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री बी0वी0 कुमार ने कहा कि डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910/2018 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के वकील ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय के समक्ष निवेदन किया था कि वे जे0बी0सी0 पुनरीक्षण सं0 69/2017 के निष्पादन में अगली तारीख यानी 16.07.2018 को आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची को पूरी तरह से सहयोग करेंगे [डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910/2018 में प्रतिवादी संख्या 2]। तद्नुसार, इस न्यायालय ने उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए दिनांक 24.04.2018 के आदेश द्वारा हाउस कंट्रोलर–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची (प्रतिवादी सं0 4) को स्वरूप कुमार सेठी और पुष्पा देवी के खिलाफ प्रश्नगत परिसर से उनके निष्कासन हेतु कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया। यह आगे निवेदन किया गया है कि यद्यपि उपरोक्त रिट याचिका 24.04.2018 को निपटा दी गई थी, फिर भी आज तक आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर डिवीजन, रांची ने उक्त पुनरीक्षण का निपटारा नहीं किया है, जिसके कारण हाउस कंट्रोलर–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची उक्त परिसर से उनके निष्कासन के लिए स्वरूप कुमार सेठी और पुष्पा देवी सेठी के खिलाफ कदम नहीं उठा है। यह भी निवेदन किया गया है कि मामले का एल0सी0आर0 पहले ही आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची के न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जा चुका है और पुनरीक्षण लम्बे समय से निष्पादन हेतु तैयार है।

3. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, मुझे डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910/2018 में पारित 24.04.2018 के आदेश को संशोधित करने का कोई कारण नहीं दिखता है। हालांकि, चूंकि दोनों पक्षों ने उक्त अदालत में तय की गई अगली तारीख को जे0बी0सी0 पुनरीक्षण संख्या 69/2017 के निपटान में आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची को सहयोग करने की इच्छा दिखाई थी, जैसा कि दिनांक 24.04.2018 को डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1910/2018 के आदेश में दर्ज किया गया है। आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की एक प्रति प्राप्त/प्रस्तुति की तारीख से अधिमानतः आठ सप्ताह के भीतर दोनों पक्षों को

सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद जे0बी0सी0 पुनरीक्षण संख्या 69/2017 का निपटान करें।

4. वर्तमान सी0एम0पी0 का तद्नुसार निपटारा किया जाता है।

(राजेश शंकर, न्याया0)